



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 29 अक्टूबर 2022

थाना कोतवाली देहात

चोरी की घटना कारित करने वाले गिरोह के 04 शातिर सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त 01 सेन्ट्रो कार व अवैध असलहा कारतूस बरामद।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 29.10.2022 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चोरी की घटना कारित करने वाले गिरोह के 04 शातिर सदस्यों को हजरतपुर बम्बा पुलिसिया के पास से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल, अवैध असलहा कारतूस व घटना में प्रयुक्त 01 सेन्ट्रो कार सहित गिरफ्तार किया गया

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1- योगेश उर्फ लाला पुत्र जगत सिंह निवासी ग्राम महाराजपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर
- 2- किशनपाल पुत्र जगवीर निवासी बकौरा थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर
3. सौरभ पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम शिवाली थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर
4. जुम्मा उर्फ रकमुददीन पुत्र नबीहसन निवासी ग्राम रशीदपुर थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर

बरामदगी-

1. 01 मोटरसाइकिल स्पलैण्डर प्लस नम्बर यूपी-13 एक्यू -9024
2. एक सेन्ट्रो कार नम्बर एचआर-06 एल-9705(घटना में प्रयुक्त)
3. 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस
4. 01 अवैध चाकू

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ पर बताया कि उनके द्वारा बरामद मोटरसाइकिल को कुछ दिन पूर्व जनपद बुलन्दशहर के थाना औरंगाबाद क्षेत्र से चोरी किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना औरंगाबाद पर मुअसं-326/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत हैं।

इसके अतिरिक्त अभियुक्तों द्वारा जनपद बुलन्दशहर के थाना जहाँगीराबाद क्षेत्र के गांव नवीनगर से दिनांक 05-10-2022 को एक ईको कार चोरी की गयी थी जिसे जनपद अलीगढ में एक कबाडी को 25,000/- रुपये में बेच दिया था। जिसके सम्बन्ध में थाना जहाँगीराबाद पर मुअसं-542/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत हैं।

अभियुक्तों द्वारा थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम सीकरी से दिनांक 10.10.2022 को एक बुलेरो पिकअप गाडी को चोरी किया गया था जिसे जनपद अलीगढ में एक कबाडी को 35,000/- रुपये में बेच दिया था। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मुअसं-807/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत हैं।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा हैं।

अभियुक्त योगेश उर्फ लाला का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-445/19 धारा 379 भादवि थाना फेस-3 जनपद गौतमबुद्धनगर
2. मुअसं-1118/19 धारा 379 भादवि थाना फेस-3 जनपद गौतमबुद्धनगर।
3. मुअसं-1189/19 धारा 379 भादवि थाना फेस-3 जनपद गौतमबुद्धनगर
4. मुअसं-1199/19 धारा 411/414 भादवि थाना फेस-3 जनपद गौतमबुद्धनगर
5. मुअसं-326/22 धारा 379 भादवि थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं-542/22 धारा 379 भादवि थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं-807/22 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
8. मुअसं-825/22 धारा 411/414 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
9. मुअसं-826/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त किशनपाल का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-445/19 धारा 379 भादवि थाना फेस-3 जनपद गौतमबुद्धनगर
2. मुअसं-1118/19 धारा 379 भादवि थाना फेस-3 जनपद गौतमबुद्धनगर।
3. मुअसं-1189/19 धारा 379 भादवि थाना फेस-3 जनपद गौतमबुद्धनगर
4. मुअसं-1199/19 धारा 411/414 भादवि थाना फेस-3 जनपद गौतमबुद्धनगर
5. मुअसं-1201/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-3 जनपद गौतमबुद्धनगर
6. मुअसं-326/22 धारा 379 भादवि थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं-542/22 धारा 379 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
8. मुअसं-807/22 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
9. मुअसं-825/22 धारा 411/414 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
10. मुअसं-827/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त जुम्मा उर्फ रकमुददीन का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-542/22 धारा 379 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-807/22 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त सौरभ का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-542/22 धारा 379 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-807/22 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री जयकरन सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात
2. उ0नि0 नीतीश भारद्वाज, उ0नि0 रविन्द्र कुमार
3. का0 सचिन कुमार, का0 सुधीर कुमार, का0 अविनय कुमार, का0 अरुण कुमार, का0चा0 हेन्द्र कुमार।

